तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज छैलूसिंह भाटी बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 248/2023 ( )	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	अपीलार्थी छैलूसिंह भाटी पुत्र करणीसिंह भाटी निवासी रामदेवजी मन्दिर गली, पहाड़गंज द्वितीय लालसागर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.10.2023, में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय को कार्यालय जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त जयपुर विधान भवन गोपालबाड़ी जयपुर से दिनांक 30.08.2022 से दिनांक 03.10.23 उक्त कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय से अन्तरित किए गए आवेदन पत्र की छाया प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1311 दिनांक 29.11.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1103 दिनांक 26.10.2023 द्वारा यह अवगत कराया जा चुका है कि आवेदन पत्र में प्रकरण संख्या/पत्रांक का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही आवेदन पत्र के संलग्न पत्र में जिला कलक्टर जोधपुर को अन्तरित आवेदन पत्र के पत्रांक का उल्लेख है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(ख) के परिपेक्ष्य में सूचना देय नहीं होने से आवेदन पत्र खारिज किया गया। चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील [illegible] पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश [illegible] पाबंद हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:15:53 IST
Reason: SelfAttested